न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर
बइजलास – श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 40/2020 निर्णय दिनांक 08.04.2021

1. मैसर्स लोहिया आर्गेनिक फर्मस एण्ड बायो प्रा. लि. जरिये निवासी एस. 569 द्वितीय फ्लोर ग्रेटर कैलाश द्वितीय नई दिल्ली अधिकृत प्रतिनिधि नरेश पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी गोपेश्वर बस्ती तहसील व जिला बीकानेर।
2. मैसर्स लोहिया आर्गेनिक फर्मस एण्ड बायो प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर कुमकुम गुप्ता पत्नि विनीत कुमार गुप्ता निवांसी एस.569 द्वितीय फ्लोर ग्रेटर कैलाश द्वितीय नई दिल्ली जरिये अधिकृत श्रीराम अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी गोपेश्वर बस्ती तहसील व जिला बीकानेर।
3. मैसर्स लोहिया ग्रामीण विकस प्राईवेट लिमिटेड पता स्पेश-द्वितीय फ्लोर खसरा नम्बर तीन सौ सतर सेंट्रेल मॉल बिल्डिग सुल्तानपुर नई दिल्ली जरिये अधिकृत प्रतिनिधि गणेश अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी गोपेश्वर बस्ती तहसील व जिला बीकानेर।

.... वादीगण

बनाम

1. श्री विनिय कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार जाति गुप्ता निवासी 131 लाजपतनगर, मुराबाद (यू.पी.) हाल बीकानेर।
2. श्री श्रवणसिह } पिसरान श्री अन्तरचन्द जाति ओड राजपुत निवासी
3. श्री जगदीशसिंह } बहरीपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर
4. राजस्थान सरकार

.... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अभिभाषक :–

1. श्री रणजीतसिंह निर्वाण अभिभाषक वादीगण।
2. राज्य की और से पैरोकार राज
3. प्रतिवादी सं. 1 व 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक :– 08.04.2021

1. विचाराधीन वाद दिनांक 31.12.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुंत हुआ।
2. संक्षेत्र में प्रकरण में सम्बन्धित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खाता तक्सीम आराजी संख्या 81 जिसका क्षेत्रफल 6.3200 हैक्टर है जो ग्राम सालासर तहसील कोलायत में स्थित है, के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जिसमें राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व कोलायत को भी प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में संयोजित किया गया है। वादी के अनुसार

Scanned with CamScanner

भूमि मुतदाकिया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमे वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण का सयुक्त खातो होने से खेती करने जमीन का विकास करने तथा अन्य प्रकार की कठिनाईयों उत्पन्न हो जाती है। अस्तु वादी अपने हिस्से आयी भूमि का विभाजन कर अलग खाता व लगान कायम करवाना चाहता है। जिसके लिए वाद दाखिल किया गया है।

3. इस वाद के प्रतिवादीगण को सम्मन बनाम मुदायलाह बिनावर कायमी तनकियात दिलाया गया। प्रतिवादी राज्य की और से पैरोकारराज उपस्थित आये लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद इतला के स्वेच्छा से गैर हाजिर रहे। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा की गयी।

4. वादी के लायक अभिभाषक व राज्य की और से उपस्थित पैरोकारराज को विभाजन के दावे पर सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। वादी अपने हिस्से की जमीन का बंटवारा करने की प्रार्थना लेकर न्यायालय में उपस्थित हुआ है। सदर्भित कानून के अध्ययन करने के पश्चात् यह निश्चित है कि वादी को अपने हिस्से आये भू–भाग का बंटवारा करने मे कोई कानूनी अड़चन नही है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादी का 1/4 हिस्सा विभाजित कर अलग खाता एवं लगान कायम कर उसकी भूमि की तरमीम नक्श अक्स में खाता अलग से दर्शाते हुवे कायम करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय के सलग्न वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा संलगन किया जावें एवं पर्चा डिग्री तदानुसार जारी की जावें। तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

131-132
12.4.21
निर्णय व डिग्री प्रति तहसीलदार कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत (बीकानेर)